

भारत सरकार जरीये सचिव, वित्त और अन्य मंत्रालय

बनाम

धनलक्ष्मी पेपर और बोर्ड मिल्स, तिरुचिरूपल्ली

12 दिसंबर, 1988

[सब्यसाची मुखर्जी और ललित मोहन शर्मा, जे. जे)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944: पहली अनुसूची वस्तु संख्या 17 (3)/नियम 8 (1) और अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 1964-स्ट्रॉबोर्ड और पल्पबोर्ड - शुल्क से छूट - खंड (क) अधिसूचना का परंतुक (3) अधिकार से परे था-तिथि का चयन।

उत्तरदाता-निर्धारिती ने कागज और पेपर बोर्ड के निर्माण के लिए एक कारखाना बनाया, जिसने 7.5.1964 को उत्पादन शुरू किया। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि जून 1966 की अवधि के दौरान कारखाने में निर्मित पेपर बोर्डों के संबंध में शुल्क भारत सरकार की 1 मार्च, 1964 की अधिसूचना द्वारा अनुमत रियायती दरों पर देय था। हालाँकि राजस्व ने इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कारखाना 9 नवंबर, 1963 को या उससे पहले अस्तित्व में नहीं आया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना के प्रावधान (3) के खंड (ए) में निर्धारित किया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी का रिट आवेदन एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत था और अपीलार्थी की लेटर्स पेटेंट अपील को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया है कि अधिसूचना में उल्लिखित तिथि '9 नवंबर, 1963' मनमाना थी।

राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि तारीख (9.11.1963) इसलिए चुना गया था क्योंकि पहले की अधिसूचना संख्या 110 में 9.11.1963 पर या उसके बाद आवेदन करने की आवश्यकता थी। यह आगे तर्क दिया गया कि एक वैधानिक प्रावधान आवश्यक रूप से तिथि के चयन में मनमाना होना चाहिए और इसे उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में उक्त तिथि का कोई महत्व नहीं है और इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

अपील को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया-

1. एक नियम जो अतीत और वर्तमान के बीच अंतर बनाता है, उसकी मनमानी और सनकी के रूप में निंदा नहीं की जा सकती है।

[ 1056 डी]

2. ऐसे मामलों में जहां तिथि का चयन महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है, प्राप्त करने के लिए, प्रावधानों को आम तौर पर संचालन में संभावित बनाया जाता है। [1056 डी]

3. राजस्व अधिसूचना नं. 110 जारी नहीं कर सका है, जब तक अधिसूचना संख्या 110 की प्रकृति और सामग्री और वर्तमान अधिसूचना के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का संकेत नहीं दिया जाता है, तब तक खंड (ए) में तारीख के चयन का बचाव करने का प्रयास करना व्यर्थ है। [ 1055 ए; 1056 ई]

4. वर्तमान मामले में, रियायती दर का लाभ था, उसमें निर्दिष्ट कर निर्धारकों के पूरे समूह को दिया गया और प्रावधान (3) के खंड (ए) द्वारा समूह को अधिसूचना के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखने वाले किसी भी भेदभाव को अपनाए बिना दो वर्गों में विभाजित किया गया था। [ 1057 एफ]

5. अधिसूचना के प्रावधान (3) का खंड (ए) अधिकार से बाहर था और अधिसूचना द्वारा अनुमत लाभ प्रत्यर्थी सहित पूरे समूह के लिए उपलब्ध होगा। [ 1057 जी)

भारत संघ बनाम मैसर्स पी. मैच वर्क्स [1975] 2 एससीआर 573, जगदीश पांडे बनाम कुलाधिपति, बिहार विश्वविद्यालय, 1 एस. सी. आर.

237 और यू. पी. एम. टी. एस. एन. ए. समिति, वाराणसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1987] 2 एस. सी. आर. 453, विशिष्ट।

डॉ. सुषमा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, [1985] पूरक एससीसी 45 और डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, [1983] 1 एस. सी. सी. 365 संदर्भित।

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील संख्या 6/1976

मद्रास उच्च न्यायालय के 1969 की रिट अपील संख्या 390 में निर्णय और आदेश दिनांकित 12.11.1973 से।

याचिकाकर्ता के लिए वी. सी. महाजन, सी. वी. सुब्बा राव और के. एम. एम. खान।

प्रतिवादी के लिए के. एन. भट्ट और विनीत कुमार।

न्यायालय का निर्णय शर्मा, जे. द्वारा दिया गया था।

यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के तहत वित्त मंत्रालय में भारत संघ द्वारा 1 मार्च, 1964 को जारी अधिसूचना के प्रावधान (3) के खंड (ए) को निरस्त करने और परिणामी राहत देने की अनुमति देने वाले एक रिट आवेदन से उत्पन्न होती है। उपरोक्त अधिसूचना ने उत्पाद शुल्क के भुगतान से कुछ छूट प्रदान की, लेकिन विवादित खंड को देखते हुए इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को लाभ देने से इनकार कर दिया गया।

2. प्रत्यर्थी निर्धारिती, एक व्यावसायिक संस्था जो मैसर्स धनलक्ष्मी पेपर एंड बोर्ड मिल्स के नाम से काम कर रही है, ने पेपर और पेपर बोर्ड और संबद्ध उत्पादों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया और जून 1963 में कुछ परिसरों का पट्टा प्राप्त किया और अगस्त 1963 तक कारखाने के लिए एक उपयुक्त संरचना स्थापित की। हालांकि, कारखाने को चलाने के लिए आवश्यक मशीनरी अप्रैल 1964 में प्राप्त हुई थी और इसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन 27.4.1964 को दायर किया गया था। लाइसेंस 6.5.1964 पर दिया गया था और कारखाने में उत्पादन अगले दिन यानी 7.5.1964 से शुरू हुआ।

3. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि कागज बोर्डों के संबंध में शुल्क 7.5 की अवधि के दौरान कारखाने में लागू नहीं किया गया था। 1964 जून 1966 तक अधिसूचना द्वारा अनुमत रियायती दर पर देय था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"भारत सरकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली

पहला मार्च, 1964/फाल्गुनी 11, 1885 (शक संवत्)

अधिसूचना

केंद्रीय अपवाद

सीएसआर: केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 20 अप्रैल, 1960 और सं. केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च, 1963 में भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण। इसके द्वारा वस्तु संख्या 17 की उप-वस्तु (3) के तहत कॉल करने के लिए जी. आर. बोर्ड सहित स्ट्रॉबोर्ड और पल्पबोर्ड को छूट दी गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची (1944 का 1), तालिका 1 का स्तंभ (1) (हटा दिया गया) में निर्धारित मात्रा को एक साथ लेता है, किसी भी उत्पादनकर्ता द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू उत्पाद के लिए पूर्ण की गई हो और जो उस पर लगाए जाने वाले कर से जितना अधिक है कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि एक ही तालिका से:

तालिका-1 (प्रासंगिक नहीं होने के कारण, हटा दिया गया)

बशर्ते कि

(1) .....

(2) .....

तालिका-2 (प्रासंगिक नहीं होने के कारण, हटा दिया गया)

(3) इस अधिसूचना में निहित कुछ भी उस निर्माता पर लागू नहीं होगा, जिसने 9 नवम्बर 1963 को या उसके बाद लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जब तक कि वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर संतुष्ट नहीं कर देता है।

(क) कि वह कारखाना, जिसके लिए लाइसेंस था या लागू किया गया था के लिए 9 नवंबर, 1963 को आवेदक स्वामित्व में था।"

प्रत्यर्थी निर्धारिती द्वारा अधिसूचना के लाभ के लिए दावा किया गया, जिसे अपीलार्थियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि कारखाना 9 नवंबर, 1963 को या उससे पहले अस्तित्व में नहीं आया था, जो विवादित खंड (ए) में उल्लिखित तिथि थी। प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय का रुख किया और एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आवेदन की अनुमति दी गई। लेटर पेटेंट के खंड 15 के तहत एक अपील को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थियों ने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय को चुनौती दी है।

3. निर्धारिती की ओर से यह आधार लिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने सही माना, कि विवादित खंड (ए) में उल्लिखित तिथि, '9

नवंबर, 1963' की प्रकृति मनमानी है। यह तर्क दिया गया है कि उक्त तिथि का कोई महत्व नहीं है क्योंकि अधिसूचना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। अपील पक्ष के विद्वान वकील ने विवादित प्रावधान की वैधता का बचाव किया कि तारीख (9.11.1963) का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि पहले की अधिसूचना संख्या 110 में 9.11.1963 पर या उसके बाद आवेदन करना आवश्यक था। यह अधिसूचना मामले के अभिलेखों में नहीं है और विद्वान वकील ने कहा है कि वह इसकी जांच नहीं कर पाये क्योंकि विभाग से उन्हें इसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले में संदर्भ के आधार पर अपने तर्क में इस अधिसूचना का उल्लेख किया है। उच्च न्यायालय का निर्णय अधिसूचना संख्या 110 की प्रकृति पर कोई प्रकाश नहीं डालता है और विद्वान वकील निर्णय से इसके प्रावधानों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। यह दावा नहीं किया जाता है कि उक्त अधिसूचना उच्च न्यायालय के समक्ष थी या न्यायाधीशों के पास इसकी जांच करने का कोई अवसर था। वर्तमान अपील 1976 में दायर की गई थी और अब भी अपीलार्थियों का विद्वान वकील इसे पेश करने या हमें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि यह किस बारे में था। परिणाम यह है कि खंड (क) में तिथि के चयन के लिए कोई स्पष्टीकरण आने वाला नहीं है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री वी. सी. महाजन ने कहा कि एक वैधानिक प्रावधान को तारीख के चयन में मनमाना होना आवश्यक है

और इसे उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने भारत संघ बनाम मैसर्स परमेस्वरन मैच वर्क्स आदि [1975] 2 एससीआर 573 (पृष्ठ 578 पर) में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया। जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है:

"उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 4 सितंबर, 1967 को उस तारीख के रूप में चुना, जिससे पहले घोषणा दायर की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस उद्देश्य के लिए चुनी गई कोई भी तारीख कुछ हद तक मनमाना होगी। यह अपरिहार्य है।"

जगदीश पांडे बनाम कुलाधिपति, बिहार विश्वविद्यालय और अन्य, [1968] 1 एस. सी. आर. 237 और U.P.M.T.S.N.A. समिति, वाराणसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1987] 2 एस. सी. सी. 453 पर विश्वास रखा गया था। हम डरते हैं, इस तर्क में कोई गुण नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

5. भारत संघ बनाम मैसर्स पी. मैच वर्क्स, (सुप्रा) में माचिस डिब्बों के निर्माताओं पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर से संबंधित प्रश्न निहित था। माचिस कारखानों को वित्तीय वर्ष के दौरान उनके उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और कारखानों की विभिन्न श्रेणियों में उत्पादित माचिस पर शुल्क की अलग-अलग दरें थीं-उच्च उत्पादन वाले कारखानों में

उत्पादित माचिस पर उच्च दर लगाई जा रही थी। नीति में परिवर्तन के अनुसरण में, माचिस कारखानों को बाद में मशीनीकृत इकाइयों और गैर-मशीनीकृत इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया और 21 जुलाई, 1967 की एक अधिसूचना द्वारा उनमें प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित इकाइयों के संबंध में शुल्क की रियायती दर की अनुमति दी गई थी। अधिसूचना में एक प्रावधान भी था। इन प्रावधानों का मकसद केवल छोटे निर्माताओं को शुल्क की रियायती दर का लाभ देना था। इस न्यायालय ने अधिसूचना का विश्लेषण करते हुए परंतुक का अवलोकन किया "अधिसूचना के मुख्य उद्देश्य को ही विफल कर दिया अर्थात्, केवल छोटे निर्माताओं को शुल्क की रियायती दर का अनुदान।" इस आत्म-पराजित स्थिति को ठीक करने के लिए, 21 जुलाई, 1967 की अधिसूचना को 4 सितंबर, 1967 की अधिसूचना संख्या 205 द्वारा संशोधित किया गया था। बाद की अधिसूचना में कट-ऑफ तिथि के रूप में 4 सितंबर, 1967 का उल्लेख किया गया है। इस तिथि के चयन पर संलग्नक अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा की गई टिप्पणियों द्वारा पूरा किया गया था और पहले उद्धृत किया गया था। यह माना जाएगा कि 4 सितंबर, 1967 की तारीख, वह तारीख थी जिस दिन संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी। इसलिए, महत्वपूर्ण तिथि की के चयन प्रक्रिया की निंदा नहीं की जा सकती थी। यह अधिसूचना की तारीख ही थी। एक नियम जो अतीत और वर्तमान के बीच अंतर करता है, उसे मनमाना और सनकी नहीं माना जा सकता है। ऐसे

मामलों में जहां उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तिथि का चयन सामग्री नहीं है, प्रावधानों को आम तौर पर संचालन में संभावित बनाया जाता है। इस अर्थ में इस न्यायालय ने मैसर्स पी. मैच वर्क्स मामले में कहा कि चुनी गई तारीख कुछ हद तक मनमाना होगी और यह अपरिहार्य था। वर्तमान मामले में प्रासंगिक अधिसूचना 1 मार्च, 1964 की थी, न कि 9.11.1963 की। यह सच है कि जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले में उल्लेख किया गया है, कुछ अन्य अधिसूचनाओं के लिए निर्दिष्ट आवेदनों की आवश्यकता होती है कि वे 09-11-1963 को या उसके बाद किये गए, लेकिन जब तक उस अधिसूचना की प्रकृति और सामग्री और वर्तमान अधिसूचना के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का संकेत नहीं दिया जाता है, तब तक इसके आधार पर तारीख के चयन का बचाव करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अपीलार्थी एक दशक से अधिक समय तक उपलब्ध रहने के बावजूद ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

6. अन्य दो मामलों जिन पर अपीलार्थियों की ओर से भरोसा किया, वे उनके मामले का समर्थन करने के बजाय, इंगित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। U.P.M.T.S.N.A. समिति, वाराणसी बनाम. यू. पी. राज्य और अन्य (ऊपर) इस न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 1 में कहा: "विधायिका मनमाने ढंग से 3 जनवरी, 1984 को कट-ऑफ तिथि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है। "मामले की

परिस्थितियों की जांच करने के बाद यह पैराग्राफ 2 में आयोजित किया गया था:

"हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि तय की गई है तारीख 3 जनवरी, 1984 को नियमितीकरण के उद्देश्यों के लिए मनमाना या तर्कहीन नहीं माना जा सकता है बल्कि इसके साथ एक उचित संबंध था उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई।"

इसी तरह जगदीश पांडे बनाम कुलाधिपति, बिहार विश्वविद्यालय और अन्य में यह आयोजित किया गया:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि तिथियां मनमानी हैं, तो धारा 4 अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में होगी और तब इन तिथियों के मध्य नियुक्त किये गए या हटाये गए इत्यादि के लिए शिक्षकों के एक वर्ग को अलग करने का कोई औचित्य नहीं होगा और उन पर धारा 4 लागू करने पर शेष सभी बातें इस धारा के क्षेत्र से परे हो जायेगी।"

इसके बाद न्यायालय ने विधान के उद्देश्य और परिचर परिस्थितियों की जांच की और धारा को बरकरार रखा।

7. एक अन्य विद्वान वकील जो की अपीलकर्ताओं ओर से पेश हुए, ने डॉ. सुषमा शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान और अन्य, [1985] पूरक एससीसी 45 में निर्णय के पैराग्राफ 38, 44 और 45 पर भरोसा किया।

पैराग्राफ 38 में यह कहा गया था कि सरकार की कार्रवाई में विवेक या विवेक की कमी या विधायिका न्यायालय द्वारा न्यायोचित नहीं किया जा सकता है, और कानून में दोष खोजने का अर्थ अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करना नहीं है। हम डरते हैं, यह पहलू हमारे सामने मामले में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। भारत संघ बनाम पी. मैच वर्क्स लिमिटेड, जिसकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है, के पैरा 44 में इसका उल्लेख किया गया था। पैराग्राफ 45 में डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ [1983] 1 एस. सी. सी. 305, को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिष्ठित किया गया था:

"लेकिन जैसा कि हम यहाँ पहले उल्लेख कर चुके हैं, डी. एस. नकारा मामला सभी पेंशनभोगियों को लाभ की समस्या से निपटता है। 1 अप्रैल, 1979 की तारीख के चयन का अधिनियम के उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था। तत्काल मामले में तथ्य हालाँकि, अलग हैं।"

इस मामले में रियायती दर का लाभ निर्धारकों के पूरे समूह को प्रदान किया गया था, जिसे परन्तुक (3) के खंड (ए) के द्वारा अधिसूचना के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाले किसी भी भेदभाव को अपनाए बिना दो वर्गों में विभाजित किया गया था, और एक वर्ग का लाभ वापस ले लिया गया था और इसे दूसरे के पक्ष में बनाए रखा गया था। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन अधिसूचना के

परन्तुक (3) का खंड (ए) अधिकार से बाहर है और अधिसूचना द्वारा अनुमत लाभ प्रतिवादी सहित सम्पूर्ण समूह के लिए उपलब्ध है।

8. इसलिए हम मानते हैं कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जो बिना किसी लागत के खारिज कर दिया जाता है।

आर. एस.

याचिका खारिज कर दी गई।

.यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।